स्पीड पोस्ट द्वारा

फा. सं. आर.20011/101/2019/प्रशा1क
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
*****

दिनांक : 17 जुलाई, 2019

सेवा में,

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना की बाबत-

महोदय,

आपके दिनांक 24 जून, 2019 के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में प्रशासन1(क) और प्रशासन1(ख) अनुभागों से संबंधित सूचना इस प्रकार है:-

(i) इस विभाग द्वारा एमटीएस और आशुलिपिकों की आउटसोर्स आधार पर तैनाती का अनुबंध मैसर्स बेदी एंड बेदी एसोसिएट्स से किया गया है जोकि दिनांक 31.08.2019 तक वैध है। आउटसोर्स के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तैनाती का अनुबंध मैसर्स NIPSTec लिमिटेड से किया गया है जोकि दिनांक 31.08.2019 तक वैध है।

(ii) आउटसोर्स किए गए एमटीएस, आशुलिपिकों और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भुगतान राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा किया जाता हैं। ये दर राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के श्रम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iii) आपके द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी, ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों एवं नियमों में उपलब्ध हैं, जिसमें 18 पेज है | इनकी प्रतिलिपियाँ अधोहस्ताक्षरी से आप 36 रुपए का भुगतान करने पर प्राप्त कर सकते हैं| भुगतान पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जोकि भुगतान एवं लेखा अधिकारी, राजस्व विभाग के नाम पर देय हो, द्वारा किया जा सकता हैं। यह भुगतान आरटीआई सेल, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में नगद जमा करवा कर भी किया जा सकता है।

2. यदि आप उपरोक्त जानकारी से सहमत न हो तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री अरविंद शरन, उप सचिव (प्रशासन), कमरा सं. 48ए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 के यहां अपील कर सकते हैं।

राघवेन्द्र सिंह
(राघवेन्द्र सिंह कुशवाह)
सीपीआईओ एवं अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011- 23095368